UPJL010037552025

न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।

पीठासीनः विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0,

प्रकीर्ण वाद संख्या 54/2025

दिनेश कुमार प्रति राजकुमार आदि

14.03.2026

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। आवेदक दिनेश कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की मां श्रीमती श्यामा देवी की मृत्यु दिनांक 28.12.2024 को हो गई है। विपक्षी सं0 1 मृतका का पुत्र व विपक्षी संख्या 2 मृतका की पुत्री है। मृतका द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण पैरा 7 में दिया गया है, के सम्बन्ध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु मुनादी व प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

3. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदक मृतका का पुत्र एवं विपक्षी सं01 मृतका का पुत्र व विपक्षी सं0 2 मृतका की पुत्री है। आवेदक व विपक्षीगण के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी मृतका का नहीं है। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 6ग1 से मृतका श्यामा देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं0 7ग, आर्यावर्त बैंक के पासबुक की छायाप्रति कागज सं0 8ग/1 व 8ग/2, नकल परिवार रजिस्टर की छायाप्रति कागज संख्या 9ग व आवेदक के आधारकार्ड की छायाप्रति कागज सं0 10ग प्रस्तुत किये गये हैं।

4. विपक्षी संख्या–1 व 2 की ओर से जबावदावा/सहमति 14ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विपक्षीगण द्वारा मृतका श्रीमती श्यामा देवी द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदक ने स्वंय का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 21ख बतौर पी0डब्लू0–1 के रूप में दाखिल किया है, जिसमें उसने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक तथा विपक्षी सं0 1 मृतका के पुत्र व विपक्षी सं0 2 मृतका की पुत्री है।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक दिनेश कुमार तथा विपक्षी सं0–1 व 2 मृतका श्रीमती श्यामा देवी के

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:35:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उत्तराधिकारी हैं। चूँकि विपक्षी सं0 1 व 2 के द्वारा आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक दिनेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख, अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। मृतका श्रीमती श्यामा देवी द्वारा मृत्यु उपरान्त आर्यावर्त बैंक कदौरा, जिला जालौन के खाता संख्या 291310110000225 में छोड़ी गई धनराशि मु0 1,05,096.50/– रूपये (एक लाख पांच हजार छियानवे रूपये पचास पैसे) मय ब्याज के संबंध में आवेदक दिनेश कुमार के पक्ष में नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करने के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

आवेदक दिनेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतका के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगा तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगा।

दिनांक 14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ.कोड यू.पी.–6525